मुक्तस्वाध्यायपीठम्
(Institute of Distance Education)
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)

S-III-ECO-04

शास्त्री-तृतीय वर्ष-अर्थशास्त्र-चतुर्थ पत्र

Shastri-3rd Year-Economics-4th Paper

खण्ड – 'ग'

भारत में कृषि विकास एवं सुधार

इकाई – 09 कृषि विकास 05-36

इकाई – 10 भारत में कृषि वित्त 37-58

इकाई – 11 कृषि विपणन एवं कृषि पदार्थों का मूल्यन 59-67

इकाई – 12 भारत में भूमि सुधार एवं कृषि श्रम 68-80

इकाई – 13 कृषि में तकनीकों का चयन एवं हरित क्रान्ति 81-92

इकाई लेखक

डॉ. रतन लाल
राजकीय महाविद्यालय,
फरीदपुर, बरेली, उ.प्र.
(9 एवं 10 इकाई)

डॉ. सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान
(11, 12 एवं 13 इकाई)

सम्पादक

डॉ. पवन कुमार मौर्य
पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

पाठ्यक्रमसम्पादक

डॉ. सुरेश प्रकाश सिंह
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, उत्तरप्रदेश

पाठ्यक्रमसंयोजक

प्रो. रमाकान्त पाण्डेय
आचार्य, साहित्य विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर

प्रकाशक

निदेशक, मुक्तस्वाध्यायपीठम्
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

प्रथम मुद्रण – **२०१९**

ISBN : 978-93-85182-28-0

© मुक्तस्वाध्यायपीठम्, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, २०१९
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश मुक्तस्वाध्यायपीठम् की लिखित अनुमति बिना किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

प्रयुक्तकागद –।gro-based environment Friendly

टंकण
रोहित पचोरी
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, भोपाल परिसर

पृष्ठविन्यास
राजीव कुमार सिंह
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

मुद्रक

M/sARIHANT OFFSET
212F & 229, Nangli Shankrawati Ind.Area, Nazafgarh Road,
New Delhi-110043

खण्ड परिचय (भारत में कृषि विकास एवं सुधार)

प्रस्तुत खण्ड भारत में कृषि विकास एवं सुधार में हमने भारत में कृषि विकास की अवस्थाओं भारत में कृषि वित्त, कृषि विपणन एवं कृषि पदार्थों के मूल्यन, भारत में भूमि सुधारों के बारे में किये गये प्रयासों को समझाने की कोशीश की है।

हमने इकाई–9 में भारत कृषि विकास के बारे में चर्चा की है अभी तक कृषि विकास किन-किन सरकारी प्रयासो द्वारा हुआ है तथा कृषि विकास की वर्तमान स्थिति क्या है, का वर्णन किया है। इकाई–10 में कृषि वित्त प्रदान करने की विधियां जैसे नावार्ड, बैंक आदि की भूमिका के बारे में बताया गया है। इकाई–11 में कृषि विपणन तथा कृषि पदार्थों के मूल्यन के बारे में परिचर्चा की गई है। इकाई–12 में हमने भूमि सुधार के विभिन्न उपायों तथा सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों का वर्णन किया है। अन्त में प्रस्तुत इकाई–13 में कृषि श्रम एवं तकनीकों के चयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसका बिन्दुवार अध्ययन आप लोग इस खण्ड मे करेंगे।

◆◆◆

इकाई – 10
भारत में कृषि वित्त

इकाई संरचना

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 कृषि वित्त का अर्थ
10.3.1 भारत में कृषि वित्त की आवश्यकता
10.3.2 कृषि साख की पूर्ति के साधन
बोध प्रश्न - 1
10.4 साहूकारों के लोकप्रिय होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण
10.4.1 सहकारी संस्थाएं
10.4.2 सहकारी समितियों के गुण-दोष
10.4.3 सहकारी समितियों की व्यवस्था में सुधार के सुझाव
बोध प्रश्न - 2
10.5 भूमि विकास बैंक
10.5.1 भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली
10.5.2 भूमि विकास बैंकों की धीमी गति के कारण
10.5.3 भूमि विकास बैंक की प्रगति के सुझाव
बोध प्रश्न - 3
10.6 वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण
10.6.1 सुधार के उपाय
बोध प्रश्न - 4
10.7 भारतीय स्टेट बैंक
बोध प्रश्न - 5
10.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10.8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता के सुझाव
10.8.2 सरकार
बोध प्रश्न - 6
10.9 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख
10.9.1 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
10.9.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना
बोध प्रश्न - 7
10.10 सारांश
10.11 शब्दाबली
10.12 सन्दर्भग्रन्थ

10.13 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत
10.14 अभ्यास प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

पिछले अध्याय में हमने भारत के कृषि विकास के बारे में पढ़ा और जाना कि कृषि क्षेत्र कैसा है और इस क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की क्या भूमिका है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृषि विकास करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है? जिससे कृषि क्षेत्र का विकास और तीव्र गति से हो सके, तो वह है कृषि वित्त या कृषि ऋण। कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार एवं सभी व्यापारिक बैंक तथा क्या सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों उदासीनता के कारण की कृषि ऋण के लिए कृषक साहूकारों एवं महाजन के मकड़जाल में फंस जाता था, भारत सरकार ने कृषि वित्त को सुगम बनाने के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गयी तभी से कृषि वित्त का विकास तीव्र गति से हुआ है। साथ-साथ 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आ जाने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हो रहा है। कृषि वित्त में व्यापारिक बैंकों का योगदान भी लगातार बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए कृषि वित्त द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस अध्याय में हम कृषि वित्त तक सीमित रखेंगे और आगे की सामग्री के ज्ञान के बारे में अगले अध्याय में पढेंगे।

10.2 उद्देश्य

1. कृषि वित्त क्या है?
2. कृषि वित्त की पूर्ति के साधन कौन-कौन से हैं?
3. साहूकार और महाजन कौन हैं?
4. सहकारी समितियाँ क्या हैं?
5. भूमि विकास बैंक क्या है?
6. व्यापारिक कौन-कौन से हैं?
7. भारतीय स्टेट बैंक कैसे काम करता है?
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कैसे काम करता है?
9. नाबार्ड क्या है? और यह कैसे कार्य करता हैं?

10.3 कृषि वित्त का अर्थ

कृषि वित्त अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत देशी साहूकार व्यापारिक बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि आते हैं जो कृषकों को ऋण प्रदान करती है।

वर्तमान कृषि वित्त शब्द परिमार्जित हो चुका है। अब कृषि वित्त से तात्पर्य इस प्रकार की साख से है, जिसकी आवश्यकता खेती के कार्यों से सम्बन्धित होती है। कृषि कार्य में यन्त्र और औजार खाद, बीज, ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। इस वित्त की पूर्ति देशी साहूकार, वाणिज्यक बैंकों, सहकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती है।

10.3.1 **भारत में कृषि वित्त की आवश्यकता**

भारतीय किसान निर्धन तथा ऋणग्रस्त रहा है। इनके पास कृषि की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं। भारतीय कृषि का पिछड़ापन तथा कृषकों की निर्धनता का जो कुचक्र अतीत से चला आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए जिस मात्रा में और जिस रूप में वित्तीय साधनों की आवश्यकता है, भारत में उसका सर्वथा अभाव रहा है। कृषि के पिछड़ेपन के कारण कृषकों की आय हमेशा निम्न स्तर की रही है और वह विवश होकर कृषि के परम्परागत साधनों के अभाव तथा महाजन एवं साहूकारों के शिकंजे में कृषकों के जकड़े होने के कारण कृषि वित्त व्यवस्था के सुधार के लिए आरम्भ से कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाये गये। पूर्व की सरकारी एवं वर्तमान सरकारों के द्वारा भी कृषि पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

कृषि साख की आवश्यकताएँ कई प्रकार की होती हैं। सामान्यतया समय के आधार पर कृषि साख की आवश्यकताओं को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है जो निम्नवत् हैं –

1. **अल्पकालीन कृषि साख**– यह साख कृषि की चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है और यह 15 महीने से कम अवधि के लिए होते हैं। इस प्रकार के ऋण कृषकों के द्वारा बीज तथा खाद खरीदने या अन्य छोटे कृषि सुधार करने जैसे कीटनाशक औषधियों के खरीदने या उनके छिड़कने के उपकरण आदि खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऋण कृषकों की तीव्र आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

2. **मध्यकालीन कृषि साख**– इस प्रकार के ऋण सामान्यत: 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। यह कृषकों द्वारा आवश्यकतानुसार पशु खरीदने, डीजल इंजन एवं बोरिंग तथा छोटे सुधार करने के लिए किए जाते हैं।

3. **दीर्घकालीन साख**– दीर्घकालीन कृषि साख 5 वर्षों से अधिक समय के लिए होती है और अधिकांश रूप में कृषि की पूँजी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऋणों का अधिकांश

प्रयोग भूमि खरीदने एवं भूमि में अनेक सुधार करने जैसे सिंचाई व बिजली व्यवस्था करने, ट्रैक्टर तथा अन्य भारी उपकरण खरीदने पुराने ऋणों का भुगतान करने तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

कृषि वित्त की आवश्यकता के विषय में समय-समय पर अनुमान लगाए गये हैं। इन आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। हरित क्रान्ति के तकनीकी सुधार तथा व्यापक यंत्रीकरण के प्रयोग के सन्दर्भ में यह वृद्धि स्वाभाविक ही है।

10.3.2 **कृषि साख पूर्ति के साधन**

कृषक अपनी कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति वैयक्तिक तथा संस्थागत स्रोतों से पूरी करते हैं। इसमें से कुछ स्रोत परम्परागत है जिसका प्रयोग किसान अपनी लम्बी अवधि से प्रयोग करता चला आ रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनका विकास अभी हाल में ही हुआ है। यह कृषि वित्त के नवीन स्रोत एवं परम्परागत स्रोतों में व्याप्त बुराइयों को दूर करके स्वस्थ शोषण युक्त कृषि वित्त व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किये गये हैं।

कृषि क्षेत्र की वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं का विवरण निम्नवत् हैं–

साहूकार– कृषि साख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत साहूकार है। परम्परागत रूप से किसान इन्हीं महाजनों से ऋण प्राप्त करता रहा है। महाजन कृषि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। 1951-52 में साहूकार 43.8% तथा कृषक साहूकार 24.9% ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। 1961-62 के सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ग का महत्व निरन्तर घट रहा है। 1961-62 में सम्मिलित रूप से पेशेवर तथा कृषक साहूकार द्वारा 49.8% से घटकर 23.2% रह गया है। पेशेवर साहूकारों तथा महाजनों के महत्व में कमी दिखलायी पड़ती है। कृषि क्षेत्र में किसानों की बढ़ती हुई समृद्धि बढ़ी है। 1981 में इनकी स्थिति में गिरावट हुई है। पेशेवर साहूकार, महाजन, व्यापारी आदि गैर संस्थागत निजी स्रोतों का सम्मिलित भाग केवल 16.1% रह गया है जबकि सहकारी संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंको का अनुपात क्रमशः 29.91% तथा 29.4% हो गया है। 1998 में भारत सरकार के द्वारा KCC आ जाने के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई और साहूकारों पर निर्भरता घटी है। कृषि वित्त का वर्तमान में काफी विस्तार हुआ।

बोध प्रश्न - 1

1. कृषि वित्त किसे कहते हैं ?
2. भारतीय कृषि साख की आवश्यकताएँ कितने प्रकार की होती हैं ?

10.4 साहूकारों का लोकप्रिय होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण एवं साहूकारी ऋण व्यवस्था के दोष

साहूकार अपने क्षेत्रों में काफी पहले से ही लोकप्रिय रहे हैं। इनके लोकप्रिय होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो निम्नवत् हैं–

1. ऋण देने की पद्धति बहुत सरल है और यह बहुत कम औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हैं।
2. यह उत्पादक तथा उपभोग दोनों के लिए ऋण देते हैं।
3. यह अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों ही श्रेणियों के ऋण प्रदान करते हैं।
4. यह हर समय ऋण देने को तैयार रहते हैं क्योंकि इनकी आय का मुख्य स्रोत ब्याज होता है।
5. यदि ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह मूलधन की वापसी पर अधिक जोर नहीं देते हैं।
6. अशिक्षित कृषक साहूकारों से आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। साहूकार भी ऋण देने के लिए आसानी से सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं।
7. यह किसानों के ऋण पर माहवार ब्याज की गणना करते हैं।

भारत में साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम हैं। जिसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो निम्नवत् हैं–

1. इनके द्वारा बहुत अधिक ऊँची ब्याज दर ली जाती है जो सामान्यतः 30 से लेकर 60 प्रतिशत तक होती है।
2. साहूकार ऋण देते समय पूरे एक वर्ष की ब्याज अग्रिम में काट लेता है।
3. यह ऋण वापस मिलने पर या ब्याज प्राप्त होने पर कोई प्राप्ति की रसीद नहीं देते हैं।
4. साहूकार सदा इस बात का प्रयास करता है कि ऋण प्रदान करते समय आगे आने वाली फसल को कम मूल्य पर उसको बेचने का वचन किसान से प्राप्त कर ले।
5. यह अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देकर किसानों के आवश्यक व्ययों में वृद्धि कर देते हैं।
6. साहूकार अपने ऋणों से बहुत से कार्य बेगार के तौर पर कराता है जिसका कोई भुगतान किसानों को नहीं करता है।

उपर्युक्त दोषों के आधार पर बम्बई बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साहूकारों के घर मुफ्त में कार्य करना किसानों की गरीबी का भी एक कारण है।

उपर्युक्त दोषों के आधार पर बम्बई बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साहूकारों के लेन-देन का ढंग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है। अत: सरकार ने इन पर नियन्त्रण लगा दिए हैं कि जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार तथा महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैंक से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना एवं सहकारी बैंकों के विकास होने से इनका महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। 1951-52 में साहूकारों द्वारा 96.7 प्रतिशत ग्रामीण वित्त की आवश्यकताएँ पूरी की जाती थीं जो 1960-61 में घटकर 50 प्रतिशत रह गया और अब केवल अनुमानतया 16.1% ही रह गया है और जब से नाबार्ड बैंक की स्थापना होने से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये और KCC के द्वारा कृषि ऋण का विस्तार हुआ है। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अन्य कारण भी हैं।

अन्य स्रोतों में रिश्तेदार, व्यापारी एवं आढ़ती, जमींदार आदि उल्लेखनीय हैं। आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि साख व्यवस्था में रिश्तेदारों का महत्व निरन्तर कम होता जा रहा है। 1950-51 में रिश्तेदार 14.2 प्रतिशत ऋण प्रदान करते थे जबकि उनका अंश 1960-61 में घटकर 8.8% रह गया। इसी अवधि में जमींदारों का अंश घटकर 1. 5 से 0.6% रह गया। 1981 में व्यापारियों का अनुपात 3.2 प्रतिशत तथा रिश्तेदारों एवं मित्रों का अनुपात 8.71 रहा है। अधिकांश व्यापारी तथा आढ़ती कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं और उपज के विपणन के समय ऋणों का भुगतान प्राप्त करते हैं। कृषि उपजों के व्यापार के राष्ट्रीयकरण तथा मध्यस्थों के उन्मूलन की जिस नीति का अब सरकार द्वारा पालन किया जा रहा है उससे व्यापारियों तथा आढ़तियों द्वारा प्रदान की गयी ऋण सेवाओं के महत्व में निरन्तर कमी आयी है। लेकिन वर्तमान में भी कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल का सहीं मूल्य नहीं मिल पाता है।

10.4.1 **सहकारी संस्थाएँ**

भारत में सहकारी संस्थाएँ भी कृषि वित्त में अपना योगदान दे रही हैं। यह बड़े दु:ख की बात है कि सहकारी कृषि साख का सही विकास नहीं हुआ। 1951-52 में कुल कृषि ऋण आवश्यकताओं के केवल 3.3% की पूर्ति सहकारी समितियों के द्वारा की जाती थी। सहकारी कृषि साख विकास कार्यक्रमों का परिणाम यह हुआ कि 1960-61 में यह प्रतिशत बढ़कर 15.5 तक हो गया तथा इन 10 वर्षों की अवधि में लगभग 5 गुना वृद्धि सहकारी समितियों को दिए गये ऋणों के प्रतिशत में हुई है। 2003-04 में कृषि साख समितियों ने 38 प्रतिशत कृषि साख की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। सहकारी संस्थाओं ने कृषि वित्त व्यवस्था में 5392

करोड़ रुपए ऋण राशि वितरित की। इस प्रकार सहकारी संस्थाओं द्वारा 2005-06 तक कुल 28947 करोड़ रुपए की सहायता कृषि साख के लिए प्रदान किये गये थे। वर्तमान में सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने द्वारा दिये गये अग्रिम व्यय 20% से लेकर 30% कृषि सहायता के लिए प्रदान किया जाता है।

भारतवर्ष में सहकारी संस्थाएँ तीन स्तरों पर पायी जाती हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ, जिला स्तर पर सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। यह सहकारी संस्थाएँ अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इस समय 92 हजार प्राथमिक सहकारी समितियाँ 3467 केन्द्रीय बैंक या जिला सहकारी बैंक, 28 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रही हैं।

(i) **प्राथमिक सहकारी समितियाँ**– गाँव के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर इसकी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और इनकी कार्यशील पूँजी सदस्यों की सदस्यता शुल्क जन-निक्षेप, केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण, आदि के रूप में प्राप्त होती है। वर्तमान में इनकी संख्या 92 हजार है जिसके अन्तर्गत देश के 99 प्रतिशत तक गाँव आते हैं।

(ii) **जिला सहकारी बैंक**– भारत में यह बैंक दो प्रकार का है। एक तो वे जिनकी सदस्यता केवल सहकारी प्राथमिक समितियों को ही मिल सकती है। दूसरी वे जिनके सदस्य अन्य व्यक्ति तथा सहकारी प्राथमिक समितियाँ दोनों ही हो सकते हैं। यह बैंक शहरी क्षेत्र में होती हैं। ये वह सभी कार्य करती हैं जो व्यापारिक बैंकों द्वारा किये जाते हैं। 30 जून 1991 को इस प्रकार के बैंकों की संख्या 368 थी। इन बैंकों का मुख्य कार्य प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना होता है।

(iii) **राज्य सहकारी बैंक**– यह बैंक अपने-अपने राज्य के मुख्यालय पर स्थापित होते हैं। इनकी आंशिक पूँजी केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार व जनता द्वारा मिलकर बनायी जाती है। इनका मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंकों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करना है। 30 जून 1991 को इस प्रकार के 30 बैंक थे।

सहकारी समितियों द्वारा ऋण की व्यवस्था में जो कतिपय दुर्बलताएँ पहले थीं, जैसे ऋण देने में देरी, भाई-भतीजावाद और साख की अपर्याप्त मात्रा उनका अब काफी सुधार हो गया है तथा सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने के सम्बन्ध में अच्छी नीतियों का पालन किया जा रहा है।

(अ) कृषकों को ऋण देने की कसौटी ऋण शोधन क्षमता के बजाय सम्भावित पैदावार के आधार पर।

(ब) वित्तीय साधन कम होने पर सर्वप्रथम छोटे कृषकों की आवश्यकता को पूरा करना।

(स) बड़े कृषक हिस्सा पूँजी में प्राप्त होने वाली साख के अनुपात से अधिक योगदान करते हैं। मध्यम अवधि के ऋण अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर दिए जाने लगे हैं।

10.4.2 सहकारी समितियों के गुण-दोष

गुण–

1. इन समितियों को अपने सदस्यों के चरित्र तथा योग्यता के विषय में जानकारी रहती है और इनको क्षेत्रीय उत्पादन सम्भावनाओं के विषय की जानकारी रहती है।
2. छोटी सहकारितायें अपने सदस्यों में ऋण तथा ब्याज के त्वरित भुगतान के सम्बन्ध में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती हैं और अपने सदस्यों में बचत करने की आदत को बढ़ावा भी देती हैं।
3. रुपया जमा करने तथा निकालने का तरीका बहुत आसान होता है तथा अधिकारियों से आसानी से सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं।
4. गाँव में अन्तिम मनुष्य के पास पहुँचने के साधन के रूप में इन सहकारी समितियों का साहूकारों (Moneylenders) के अलावा कोई दूसरा प्रतिद्वन्दी नहीं होता है। सहकारिता ब्याजखोरी का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक विकल्प होता है।

दोष–

सहकारी साख के विकास में पर्याप्त विषमता है। सहकारी समितियों ने छोटे तथा सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों को अनिवार्य वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं। ये कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक बुरी तरह से साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं तथा इनके पास जमानत के रूप में कोई साधन नहीं होता है और न ही उनके पास पर्याप्त बचत करने की क्षमता होती है जिससे वे इन साहूकारों के ऋणों का भुगतान करें।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural credit Survey) के अनुसार इन समितियों की असफलता के प्रमुख कारण निम्न हैं–

1. इन समितियों के कार्यात्मक (Structural) तथा प्रशासनात्मक (Administrative) व्यवस्था दोष युक्त होती है।

2. कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव रहता है।
3. बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का अशिक्षित होना है।
4. भण्डारण तथा अन्य आर्थिक आवश्यकताओं (Other Economic Requirements) का भी अभाव रहता है।
5. वित्तीय संस्थाओं से सहकारी समितियों की प्रतिस्पर्धा भी इनके असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

10.4.3 सहकारी समितियों की व्यवस्था में सुधार के सुझाव

सहकारी समितियों के कृषि साख में तीव्र वृद्धि हुई है। और आज प्राथमिक कृषि साख समितियों का जाल ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। परन्तु अभी भी सहकारी साख व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार होने शेष हैं। जो निम्नवत् हैं–

1. कृषि साख समितियों को विशेष रूप से निर्धन तथा छोटे किसानों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
2. समितियों को ऋण देने की प्रणाली साफ सुथरी बनानी चाहिये।
3. कृषकों को समय पर ऋण मिलना चाहिये।
4. ऋण देने में जाति, धर्म, भाई–भतीजावाद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी सदस्यों का समानता के आधार पर कृषि ऋण देना चाहिए।
5. समितियों को ऋण देने के साथ उनके उपयोग का निरीक्षण करना चाहिए कृषक जिस उद्देश्य के लिए ऋण लेता है क्या वह उद्देश्य पूरा कर रहा या नहीं।
6. सहकारी समितिमयों को अपने बकाया ऋणों की कुशलता से वसूली करनी चाहिए जिससे सीमित साधनों का अपव्यय न हो सके।
7. प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना चाहिए तथा प्रशासनात्मक तथा परिवेक्षण मशीनरी को मजबूत किया जाना चाहिए।

The Co-operative Credit Committee 1963 ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये निम्नलिखित सिफारिश की है जो निम्नवत् हैं–

1. सहकारिता का संगठन ग्राम स्तर पर एक प्राथमिक इकाई के रूप में किया जाना चाहिए।

2. कुछ विशेष दशाओं में सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंश पूंजी में भागीदार बन सकती है।

3. सरकारी समितियों को सभी प्रकार के कृषकों (सीमान्त तथा उपसिमान्त कृषक), भूमिहीन कृषक इत्यादि को सदस्यता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें उनकी उत्पादन आवश्यकता तथा भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण प्रदान किये जाने चाहिए।

4. सभी प्रकार के अल्प एवं मध्यम कालीन ऋण जिसकी सीमा 5000 रुपए तक हो, को बिना किसी भूमिगत जमानत के किसानों को दिये जाने चाहिये।

बोधप्रश्न - 2

1. साहूकारों के लोकप्रिय होने के कारण का उल्लेख कीजिए।

2. साहूकारी समितियों के गुण–दोषों का वर्णन कीजिए।

10.5 भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इन बैंकों की आवश्यकताएं दो कारणों से होती हैं– (1) प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि यह समितियाँ खुद अपने लिए अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त करती हैं। (2) भू–सम्पत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती हैं जो कि इन समितियों के पास होते नहीं हैं।

इन बैंकों की द्वि–स्तरीय संरचना होती है–एक तो केन्द्रीय भूमि विकास बैंक जो प्रान्तीय स्तर पर कार्य करता है एवं दूसरा प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो कि तहसील अथवा जिला स्तर पर कार्य करती है। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण, कुएं खुदवाने, पम्पसेट लगवाने, खेती सम्बन्धी यन्त्र के ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए दिए जाते हैं। 30 जून 1991 को 19 केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक तथा 1325 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

10.5.1 भूमि विकास बैंकों की कार्य प्रणाली

1. **कार्य** - अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करने के लिए मुख्यतया अचल सम्पत्ति को रखकर कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं जो निम्नवत् हैं–

1. गिरवी रखी हुई भूमि और मकानों तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण देना।
2. कृषि की तकनीक और भूमि सम्बन्धी सुधारों के लिए ऋण देना।
3. कृषि यन्त्रों के खरीदने के लिए ऋण देना। जैसे ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्र।
4. भूमि खरीदने, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ऋण देना।
5. सदस्यों में सहयोग एवं सहकारिता की भावना उत्पन्न करना।
6. सदस्यों की भूमि और इसके उपयोग सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक सलाह देना विशेषज्ञों के द्वारा।
7. सदस्यों को दीर्घकालीन ऋण देना जैसे 20 वर्ष के लिए।

2. अधिकतर राज्यों में ऋष भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत तक होता है। कुछ राज्यों में लगान के तीन गुने तक ऋण देने का चलन है। ऋण देने से पहले गिरवी में रखने जाने वाली भूमि के दायित्व तथा प्रार्थी की शोधन क्षमता की जाँच करना होता है।
3. ब्याज की दर अलग-अलग राज्यों में 6 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत निर्धारित की जा सकती यह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करती है।

10.5.2 **भूमि विकास बैंकों की धीमी गति के कारण**

भूमि विकास बैंकों की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण रहे हैं–

1. भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली अकुशल है। इनमें पहल करने की शक्ति का अभाव रहा है। जिसको समय के साथ बढ़ाना चाहिये।
2. कृषि से आय तथा व्यय सम्बन्धी आँकड़ों का इन बैंकों के पास अभाव रहता है।
3. भूमि तथा कृषि की उन्नति की अपेक्षा पुराने ऋणों के परिशोध पर विशेष महत्व दिया जाता रहा है।
4. बैंक द्वारा डिवेन्चरों के निर्गमन से कोष जुटाने की विधि दोषपूर्ण है और इस प्रकार की कोशिश भी नहीं की गयी है।
5. ऋण देने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण एवं भ्रष्टाचारी प्रकार की है। जिसके कारण इनके NPA बहुत अधिक बढ़ गये हैं।
6. विभिन्न राज्यों में इसका विकास असमान रूप से हुआ है।
7. भूमि सुधार कानूनों का प्रभाव अनुकूल नहीं रहा है और ना ही इन बैंक ने भूमि सुधार को विशेष ध्यान नहीं दिया है जो इनका मुख्य कार्य माना जाता है।

10.5.3 भूमि विकास बैंकों की प्रगति के सुझाव

भूमि विकास बैंकों की प्रगति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

1. बैंक को स्वतन्त्र रूप से कार्य का अवसर प्रदान करना चाहिए।
2. बैंकों की कार्य संचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिकोण से नाबार्ड की वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए।
3. ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहित करना और गाँव में कैम्पों का आयोजन करना चाहिये।
4. ऋण पत्र कार्यक्रम कार्यशील किया जाना चाहिए।
5. पूँजी में राजकीय सहकारिता होनी चाहिए।
6. राज्यों को चाहिए कि वे भूमि विकास बैंकों को अनुदान दे और इनका विस्तार करना चाहिये तथा नवीन तकनीक को बढ़ावा देना।
7. ऋण देते समय ऋण प्रार्थियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उद्देश्यों के बारे सही जानकारी होनी चाहिये।

बोध प्रश्न – 3

1. भूमि विकास बैकों की कार्य प्रणाली समझाइए।
2. भूमि विकास बैकों की धीमी प्रगति के कारणों को गिनाते हुए इसको तीव्रता प्रदान करने के सुझाब दीजिए।

10.6 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण

प्रारम्भ में कृषि साख के क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों का योगदान कम ही रहा है तथा इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर उपेक्षा तथा लापरवाही का दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएँ बड़े औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित और अधिकतर व्यापारियों को उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऋण प्रदान करते थे। इस सम्बन्ध में स्वाभाविक है कि 1950–51 तथा 1960–61 के वर्षों में व्यावसायिक बैंक 1% से भी कम की कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। परन्तु 2003–2004 और व्यावसायिक बैंक कुल कृषि वित्त का 55% में साख प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं और वर्तमान व्यापारिक बैंकों की भूमिका कृषि वित्त बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। जब से (KCC) किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से आया है।

व्यावसायिक बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण की योजना तथा 20 बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप व्यावसायिक बैंक कृषि साख की दिशा में अधिक सक्रिय हो गये हैं और उनका अतीत का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण समाप्त हो गया है। और इस बात की अपेक्षा की गयी है कि यह बैंक ग्रामीण साख में अधिक सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। 1997-98 व्यावसायिक बैंकों ने 15831 करोड़ रुपए का ऋण कृषि क्षेत्र को दिया था जो 2003-04 में बढ़कर 43840 करोड़ रुपए हो गया था। 2011-12 में वाणिज्य बैंकों द्वारा 3,68,616 करोड़ के ऋण प्रदान किये थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंक अब कृषि बैंक के क्षेत्र में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रही हैं और अनुमान है कि व्यावसायिक बैंक का कृषि वित्त व्यवस्था में जो अंश 1% से भी कम था वह लगभग 52 प्रतिशत से अधिक हो गया है। आज इन बैंकों द्वारा दी गयी ऋण सहायता से नवीनतम कृषि उपकरणों को अपनाना तकनीकी तथा भूमि सुधार लागू, अच्छी खाद तथा बीजों का प्रबन्ध करना, गोदामों का निर्माण करना तथा विपणन व्यवस्था को कुशल बनाना है। वर्तमान में व्यावसायिक बैंक हरित क्रान्ति को सफल बनाने तथा कृषकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रहा है।

व्यापारिक बैंकों को कृषि ऋण प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो निम्नवत है–

1. कृषकों की कृषि साख की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की बढ़ती हुई आवश्यकता को पुर्नवित की सुविधा के अभाव के कारण पूरा नहीं किया जा सकता।
2. अधिकांश कृषक छोटे जोत वाले हैं तथा उधार ली गयी पूँजी का उत्पादक कार्यों में प्रयोग बहुत ही सीमित है।
3. 20% से 30% तक उधार ली गयी पूँजी के भुगतान की प्रगति बहुत ही दयनीय है। यही एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से छोटे कृषकों को वित्त प्रदान करने में बैंक जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।
4. बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की गारन्टी की सुविधा न होने के कारण भी ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने में बैंक अभी नहीं लेते हैं।
5. कृषि का मौसमी, किसानों की अशिक्षा तथा बैंकों को अपने पास तरलता रखने की आवश्यकता ने भी बैंकों की कृषि प्रदान करने के लिए हतोत्साहित किया है।
6. कृषकों के द्वारा जमानत के तौर पर दी जाने वाली सम्पत्ति प्रतिभूति की कीमत में बड़ा उतार-चढ़ाव होता है, जिस पर किसानों का नियंत्रण नहीं होता है।

10.6.1 सुधार के सुझाव

व्यावसायिक बैंक किसानों को दिए जाने वाले ऋणों में निम्नवत् वृद्धि कर सकते हैं–

1. ग्रामीण क्षेत्रें से बैंक जमाओं की दर में वृद्धि करके, जो कि वर्तमान समय में कुल बैंक जमाओं का 5% के ही लगभग है।
2. औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गये ऋण के कुछ भाग को कृषि वित्त प्रदान करने के लिए प्रयोग करें।
3. सहकारिताओं की तरह रिजर्व बैंक से रियायती दर पर अतिरिक्त धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
4. किसानों को कृषि ऋण देने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए जिसमें से कागजी कार्यवाही कम से कम हो।
5. व्यावसायिक बैंक विपणन वित्त प्रदान करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जिससे विपणन व्यवस्था में सुधार कर वृद्धि की जा सकती है। जो निम्न तरीकों से किया जा सकता है-

(अ) विभिन्न प्रकार की फसलों की श्रेणीकरण (Grading) तथा प्रमापीकरण (Standisation) की व्यवस्था करके।

(ब) उचित भंडारण की सुविधा करके मौसम की आवश्यकता के अनुसार।

(स) उचित तरीके से नियंत्रित बाजारों की स्थापना करें।

हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंकों ने कृषि वित्त प्रदान करने में रूचि दिखायी है तथा अधिक मात्रा में कृषि वित्त प्रदान करके कृषि विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बोध प्रश्न - 4

1. कृषि ऋण करते समय व्यापारिक बैकों को कौन–2 सी कठिनाइयों होती हैं ?
2. व्यावसायिक बैंक किसानों को दिये जाने वाले ऋणों में कैसे वृद्धि कर सकते हैं ?

10.7 भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक ने स्थापना के समय ही कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास किये हैं। जो निम्नवत् हैं–

1. **सहकारी समितियों को ऋण**– जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं, वहाँ स्टेट बैंक, सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।
2. **धनराशि भेजने के लिए निःशुल्क सेवा**– यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है।
3. **गोदामों के लिए ऋण**– भारतीय स्टेट बैंक, गोदामों को बनाने के लिए ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है।
4. **भूमि बन्धक बैंक की सहायता**– भारतीय स्टेट बैंक, भूमि बन्धक बैंकों के ऋणपत्रों को खरीदकर उनकी सहायता करता है।
5. **कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण**– भारतीय स्टेट बैंक कृषकों को ट्रैक्टर डीजल पम्पसेट्स तथा अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान करता है।
6. **मालगोदामों की रसीद पर ऋण**– यह बैंक केन्द्रीय व राज्य भण्डार निगमों की रसीद पर भी किसानों को ऋण प्रदान करता है।
7. **शाखाओं का विस्तार**– यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलकर कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास कर रहा है। स्टेट बैंक की 77.1 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण व अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित हैं और कृषि एवं ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा कृषि वित्त के विस्तार के लिए 1972 में एक योजना बनाकर लागू की जिसकी 508 कृषि विकास शाखाएँ खोली गयी हैं जिनका कार्य कृषि वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करना ही है।

भारतीय स्टेट बैंक ने भी गाँव अंगीकृत योजना भी आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य गोद लिए गये गाँव के सभी कार्यक्रम में किसानों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। 1999 में स्टेट बैंक की 13192 शाखाएँ थीं। स्टेट बैंक द्वारा कृषि साख के लिए दिए गये ऋण की राशि 31 मार्च 1991 को 5507.06 करोड़ रुपए थी। जो वर्तमान में सभी वाणिज्यकों का योगदान 3,69,616 करोड़ रुपया हो गया है।

बोध प्रश्न - 5

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि वित्त उपलब्ध करवाने हेतु कौन-2 से कदम उठा रही है ?

10.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में निर्धनता व बेरोजगारी को दूर करने के लिए वित्तीय

सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। लघु कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कारीगरों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गयी थी। ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रामीण साख की आवश्यकताओं के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए। 2 अक्टूबर 1975 को इन बैंकों की स्थापना की गयी। 30 जून 2000 तक देश के सभी राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो चुकी है और इन बैंकों की 427 जिलों में 14459 शाखाएँ खुल चुकी थी। मार्च 2014 तक इनकी कुल संख्या 57 हो गई है।

10.8.1 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता के सुझाव**

वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक कार्य कुशलता से कार्य करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो निम्नवत् हैं–

1. बैंकों को कृषकों से अधिक सम्पर्क में आना चाहिए और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का सही विश्लेषण करके उनकी सहायता करनी चाहिए।
2. ऋण देने की प्रणाली सुगम तथा सरल होनी चाहिए जिससे कृषकों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।
3. व्यावसायिक बैंकों के ऋण देने की नीति में परिवर्तन होना चाहिए कि ऋण देने में जमानत के स्थान पर उत्पादन क्षमता तथा कृषि विकास की सम्भावनाओं के आधार पर ऋण प्रदान करना चाहिए।
4. इन बैंकों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहिए तथा निष्पक्ष रूप से ऋण सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए।
5. स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि देकर भी इन बैंकों द्वारा प्रदान की गयी कृषि साख सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

10.8.2 **सरकार**

राज्य सरकारों द्वारा भी कृषि के लिए व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था सामान्यत: भूमि सुधार एवं ऋण अधिनियम (Land Improvement Loans Act, 1883) व कृषक ऋण अधिनियम (Agricultural Loan, Act, 1884) के अन्तर्गत की जाती है। कृषक को जो ऋण दिए जाते हैं उन्हे तकावी (Taccavi) कहते हैं। यह ऋण या तकाबी अकाल, बाढ़ या इसी प्रकार के समय ही राज्य सरकारें देती हैं। ऋणों की वापसी किस्तों में होती है जिन्हें मालगुजारी के साथ चुकाना पड़ता है। आजकल यह ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं रहे हैं।

बोध प्रश्न - 6

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता हेतु सुझाव दीजिए।

10.9 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख

भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ने अपने स्थापना काल से ही कृषि साख की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया। रिजर्व बैंकों ने इस सम्बन्ध में कृषि वित्त विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना करके महत्वपूर्ण कार्य किया। समय-समय पर रिजर्व बैंक ने कृषि साख की आवश्यकताओं, उनके स्रोतों तथा सम्बन्धित समस्याओं के मूल्यांकन के लिए विशेष अध्ययन तथा सर्वेक्षण दलों और समितियों का गठन किया। इस सम्बन्ध में 1951 में रिजर्व बैंक के द्वारा गठित ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Department) की स्थापना करके महत्वपूर्ण कार्य किया। समय-समय पर रिजर्व बैंक ने कृषि साख की आवश्यकताओं, उनके स्रोतों तथा सम्बन्धित समस्याओं के मूल्यांकन के लिए विशेष अध्ययन तथा सर्वेक्षण दलों और समितियों का गठन किया। इस सम्बन्ध में 1951 में रिजर्व बैंक के द्वारा गठित ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) का कार्य ऐतिहासिक महत्व का है और इस समिति के सुझावों के आधार पर ही कृषि साख का पुनर्गठन किया जा रहा था। रिजर्व बैंक कृषि साख की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में अपना योगदान देता रहा है।

सामान्यतया रिजर्व बैंक कृषि साख व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होता है। अल्पकालीन साख पत्रों की पुनर्कटौती या अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है। अधिकांश अल्पकालीन साख की 3 महीने से 15 महीने तक की अवधि होती है। अल्पकालीन कृषि साख बैंक दर से 2% कम पर दी जाती है।

रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम कालीन ऋण सुविधा भूमि प्राप्ति, निर्माण, विकास तथा सिंचाई साधनों के रख-रखाव, मशीनों की खरीद, यातायात संयंत्र उर्वरक की खरीद के फार्म हाउस तथा जानवरगाह (Cattle sheds) का निर्माण दुधारू पशुओं तथा मुर्गी पालन इत्यादि कार्यों के लिए दिये जाते हैं। इन ऋणों की अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक की होती है। इस प्रकार के ऋण राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष (National Agricultural credit Stabilization Fund) में से दिए जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण दीर्घकालीन कोष से दिए जाते हैं। इस प्रकार के दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकारों की सहकारी साख संस्थाओं की अंश पूंजी में भागीदार बनाने के लिए दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों को भी खरीदा जाता है। प्रारम्भ में राष्ट्रीय कृषि साख स्थायीकरण कोष से 87.62 करोड़ रुपए मध्यकालीन ऋणों के लिए दिए गये। देश के विभिन्न भागों में व्यापक प्राकृतिक संकटों के कारण से यह बड़ी राशि आवश्यक थी। अतः आवश्यकतानुसार समय-2 पर उसमें काफी वृद्धि की गई।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अन्य रूपों में भी कृषि साख व्यवस्था के विकास में सहायता प्रदान करता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1. सहकारी बैंकों के लाभ के लिए सस्ती प्रेषण व्यवस्था का प्रावधान।
2. सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
3. गाइडलाइन का प्रकाशन।
4. सहकारी समितियों का निरीक्षण।

सन् 1982 में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारी बैंकों को 891 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्रदान की। 1982 के उपरान्त कृषि वित्त का प्रधान दायित्व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) पर आ गया है। तब से यह बैंक अपना काम प्रमुखता से कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज भारत के क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों में तीव्र गति से विकास हुआ है।

10.9.1 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)

देश की कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने एवं विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का निर्णय दिसम्बर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह के मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था। जिसको श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार द्वारा साकार रूप दिया गया।

स्थापना– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

पूँजी– इस बैंक की पूँजी 100 करोड़ रुपए रखी गयी है जिसे केन्द्रीय सरकार व रिजर्व बैंक आफ संचालक ग्रामीण अर्थशास्त्र व ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों में से तीन संचालक सहकारी वाणिज्यिक बैंकों के अनुभवी व्यक्तियों में से 7 संचालक बैंक के संचालकों में से 3 संचालक केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से 2 संचालक राज्य सरकार के अधिकरियों में से एक प्रबन्ध संचालक एक या अधिक संचालकों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इस बैंक का संचालक मण्डल एक सलाहकार मण्डल बनायेगा। जिसका कार्य समय-समय पर विभिन्न मामलों पर सलाह देना होगा जिसे बोर्ड द्वारा सौंपा जायेगा। इस समय इस बैंक का 15 सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल हैं।

कार्य– इस बैंक को वे सभी कार्य दिए गये हैं जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। यह बैंक कृषि साख को एक छाते के नीचे लायेगी और अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक है, उसी प्रकार कृषि विकास

बैंक के लिए यह बैंक सर्वोच्च बैंक होगी जो सभी एजेन्सियों के कार्य में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

यह बैंक अपनी आवश्यकता के लिए बांड या ऋण पत्र जारी कर सकती है। जिस पर केन्द्रीय सरकार की मूलधन या वापसी की गारन्टी होगी। यह बैंक कृषि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करेगी जैसे उत्पादन व विपणन ऋण, पूँजी के लिए ऋण देना इत्यादि। नाबार्ड द्वारा निम्न प्रकार की साख सुविधाओं के प्रसार की व्यवस्था की गयी है जो निम्नवत् हैं–

1. **अल्प कालीन साख**– नाबार्ड 18 माह की अवधि में देय साख सुविधा की व्यवस्था करना है। यह अल्पकालीन साख कृषि विपणन लागतों एवं उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं को प्राप्त करने तथा लघु हस्तशिल्प उद्योगों को उत्पादन क्रियाओं के संचालन में सहायता के लिए प्रदान की जाती है।
2. **मध्यम कालीन साख**– नाबार्ड 18 माह से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था की जाती है।
3. **दीर्घ कालीन साख**– नाबार्ड कृषि कार्यों में सुधाार के लिए 25 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए भी ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई साख का लगभग 95% अल्पकालीन साख से सम्बन्धित है। अल्पकालीन साख में सर्वाधिक राशि कृषि कार्यों के लिए प्रदान की गयी, जो इस बात को सिद्ध करती है कि नाबार्ड की स्थापना औचित्यपूर्ण रही है।

10.9.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने की एक नई स्कीम 1998-99 में प्रारम्भ की गई जिसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इससे 27 व्यापारिक बैंकों, 373 जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक तथा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा मिलियनों क्रेडिट कार्ड बनाए गये थे, जिन पर 43392 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। कुल क्रेडिट कार्ड का 66 प्रतिशत सहकारी बैंक द्वारा, 27 प्रतिशत व्यापारिक बैंक द्वारा तथा 7 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निर्गमित किये गये थे।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना मृत्यु एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी है। जिसकी रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। KCC के आरम्भ से अगस्त 2012 तक 9.54 करोड़ किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 से खरीफ मौसम से 2008-09 के बीच किसानों को 3 लाख रुपए तक की कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर मिलता था उसे सरकार ने वर्ष 2009-10 से 1 प्रतिशत घटा दिया है

जो अब 6 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2010–11 से सरकार ने ब्याज सब्सिडी को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तक कर दिया गया है और वर्ष 2011–12 से किसान क्रेडिट कार्ड दर ब्याज पर घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया है जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

कृषि वित्त को बढ़ावा देने के सुझाव–

प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. व्यापारिक बैंको का ग्रामीण में अधिक विस्तार होना चाहिए जिससे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके और किसानों की आवश्यकता पूर्ण हो सके।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार तेजी से होना चाहिये जिससे इन बैंकों की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गयी है वह उद्देश्य पूर्ण हो सके।
3. सहकारी वित्तीय संस्थाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ होना चाहिये जिससे किसानों की आवश्यकता पूर्ण हो सके।
4. सरकारी ऋणों का विस्तार तेजी से होना चाहिये जिससे बचतों का विकास होना और वहाँ कि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी।
5. कृषि ऋण के लिए अधिक कागजी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये क्योंकि हमारे देश का किसान अधिक पढ़ा-लिखा नहीं होता है। जिसके कारण कठिनाई होती है और किसान दलालों के जाल में फंस जाता है और इस प्रकार की ऋण किसान NPA हो जाता है।

बोध प्रश्न – 7

1. नावार्ड क्या है ?
2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्या है ?

10.10 सारांश

भारत एक कृषि प्रधाान देश है। यहां पर आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर है। इसीलिए कृषि विकास, ग्रामीण एवं किसानों की आय तथा जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कृषि ऋण/ वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह नहीं था, तव किसान हमेशा साहूकारों एवं महाजनों की मकड़जाल में फंसा

रहता था। ऋण में पैदा होता था और ऋण में ही मर जाता था। लेकिन भारतीय किसान की स्थिति वर्तमान में भी अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि वित्त में सुधार और बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे किसान आत्महत्या न करें और देश का विकास हो सके। इन अध्याय का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि विद्यार्थी किसान, कृषि एवं कृषि की वित्त की समस्याओं को समझें।

10.11 शब्दावली

1. कृषि, कृषि वित्त, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण।

10.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह : भारतीय अर्थ व्यवस्था पिर्यसन पब्लिशिन, नई दिल्ली।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्त एव सुन्दरम, एसचंद पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पुरी, हिमालय पब्लिशिंग, हाउस मुम्बई 2013।

10.13 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न - 1

1. बिन्दु 10.2 को देखें।
2. बिन्दु 10.2.1 को देखें।

बोध प्रश्न - 2

1. बिन्दु 10.3 को देखें।
2. बिन्दु 10.3.2 को देखें।

बोध प्रश्न - 3

1. बिन्दु 10.4.1 को देखें।
2. बिन्दु 10.4.2 को देखें।

बोध प्रश्न - 4

1. बिन्दु 10.5 को देखें।
2. बिन्दु 10.5.1 को देखें।

बोध प्रश्न - 5

1. बिन्दु 10.6 को देखें।

बोध प्रश्न - 6

1. बिन्दु 10.7.1 को देखें।

बोध प्रश्न-7

1. बिन्दु 10.8.1 को देखें।
2. बिन्दु 10.8.2 को देखें।

१०.१४अभ्यास प्रश्न

1. कृषि वित्त की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कदमों का वर्णन कीजिए ?
2. भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्ताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों को बताइये।
3. भारत में कृषि साख का महत्त्व और स्रोतों की विवेचना कीजिए।
4. कृषि वित्त से आप क्या समझते हैं?
5. भारत में कृषि वित्त के कौन-कौन से साधन है?
6. भूमि विकास बैंक की कार्य प्रणाली एवं प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
7. नाबार्ड की स्थापना का क्या उद्देश्य था?
8. अग्रणी बैंक योजना क्या है?

◆◆◆